कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—:— आदेश —:—

क्रमांक **01/एक–11–1/2008** कबीरधाम, दिनांक 18.01.2017

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(3) एवं (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) पूर्व के आदेश क्रमांक 01/एक–11–1/2008 दिनांक 26.08.2016 को निरस्त करते हुए सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में संस्थापित सिविल न्यायालयों, सत्र न्यायालयों के आपराधिक प्रकरणों एवं न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के मध्य **वर्ष–2017** के व्यवहार कार्य के लिये क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित करता हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

अनु क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
1	2	3	4	
(1)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा), लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	सभी सत्र प्रकरण.
			2.	इस न्यायिक जिला में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कवर्धा/पंडरिया द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपील एवं रिवीजन.
			3.	आपराधिक प्रकरणों के संबंध में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र.
			4.	विविध आपराधिक कार्यवाहियॉं.
			5.	सभी जमानत आवेदन पत्र.
			6.	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12(अ) की
			7.	उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण 1955 के क्रमांक (10) जो कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम विशेष प्रावधान अधिनियम 1981 के क्र.18 द्वारा संशोधित बाबत् पुराने प्रकरण.
			8.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ पास्को एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र.
			9.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्र.
			10.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न 20,00,001/– रू. से अधिक के मूल्याकंन के व्यवहार वाद।
			11.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद ।
			12.	इस सिविल जिला में कार्यरत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्रियों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील।
			13.	उपरोक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीले।

			14.	धारा 25 एडमिनिस्ट्रेशन आप. इवेकुईस प्रापर्टी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अपीले ।
			15.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत अपीले ।
			16.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न इडियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत अपीले ।
			17.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न धारा 17 पेमेंट आप. वेजेस एक्ट 1936 के अन्तर्गत अपीले।
			18.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत कबीरधाम (कवर्धा) जिला से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित सभी मामले।
			19.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न प्रोबेट एवं लेटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			20.	अन्य विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			21.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थम अधिनियम (आरबीट्रेशन एक्ट) 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			22.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न कार्पोरेशन एक्ट एवं छ.ग. नगर पालिका एक्ट 1961 (1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
			23.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1,एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कवर्धा के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम (1961 के क्रमांक 370) की धारा 13(5) एवं 172(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			24.	कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			25.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भू–अर्जन अधिनियम, 1804 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण।
			26.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न एबालियेशन आफ प्रोप्राईटरी राईट एक्ट की धारा 35 (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			27.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 20001/– रू. से अधिक मुल्यांकन के को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			28.	रिलिजियश एवं चेरीटेब एंडोवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1937 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			29.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रतिपालक (गार्जियन एवं वार्डस एक्ट) के अन्तर्गत प्रस्तत प्रकरण।
			30.	इन्सालवेंशी अपील ।
			31.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 7 एवं 8 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण ।
			32.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 149 के अन्तर्गत अपीले।

			33. संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण के लिए किये जाने वाले रू. 501/– से 1000/– रू. तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 34. लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों का विचारण जो संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न होगे।
(2)	फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा, लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया तहसील	1. संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 50,00,1/– रू. से 20,00,000/– तक के मूल्याकंन के व्यवहार वाद। 2. सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। 3. विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 4. सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) से उत्पन्न भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र। 5. जिला न्यायाधीश द्वारा सौपे गये आवश्यक कार्यो को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना। 6. लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र (एट्रोसिटीज से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 7. व्यवहार न्यायालय, पण्डरिया द्वारा निराकृत प्रकरणों के सिविल अपील।
(3)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम(कवर्धा)		<u>रिक्त</u>
(4)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा एवं पण्डरिया.	1. तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा एवं पण्डरिया से उत्पन्न रू.25,001/– से रू.50,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद। 2. उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। 3. तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन वाद । 5. राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला एवं पण्डरिया के अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। 6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निराकरण। 7. तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र.37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीले।

			8.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			9.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			10.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			11.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			12.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया रू.500/– तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			13.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			14.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया कंडिका 1 से 13 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।
			15.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, कवर्धा के न्यायालय से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
(5)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कबीरधाम(कवर्धा)			<u>रिक्त</u>
(6)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	रू. 1/– से रू .25,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	तहसील लोहारा से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			4.	तहसील लोहारा कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन वाद ।
			5.	राजस्व तहसील लोहारा के अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			6.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निराकरण।
			7.	तहसील लोहारा से उत्पन्न नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र.37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीले।
			8.	तहसील लोहारा से उत्पन्न न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			9.	तहसील लोहारा से उत्पन्न पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			10.	तहसील लोहारा से उत्पन्न धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			11.	तहसील लोहारा से उत्पन्न दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			12.	तहसील लोहारा से उत्पन्न रू.500/– तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			13.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।

			14.	तहसील लोहारा से उत्पन्न कंडिका 1 से 13 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।
(7)	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, **पंडरिया** जिला–कबीरधाम	तह. पण्डरिया	1. 2. 3.	रू. 1/– से 25,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद । उपरोक्त व्यवहार वाद से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गए आवश्यक कार्यो को एवं स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
(8)	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, कबीरधाम (कवर्धा)			**रिक्त**

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—: **विविध आदेश** :—

क्रमांक 01/एक–11–1/2008 कबीरधाम, दिनांक 18.01.2017

इस कार्यालय स्थापना पर कार्यरत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक क/एक–11–1/2008 दिनांक 26.08.2016 को निरस्त कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य एवं आपराधिक कार्य उनके पदनाम के समक्ष दर्शाये गये न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा एवं साथ ही इस आदेश के अन्त में वर्णित टीप पर भी ध्यान दिया जावे :—

1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायालय का आवश्यक कार्य फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
2.	फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
3.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	**रिक्त**
4.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
5.	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	**रिक्त**
6.	तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा किया जावेगा।

7.	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, पण्डरिया	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।

<u>टीप</u> :– सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ सिविल न्यायाधीश गण को निर्देशित किया जाता है कि जब कभी–भी वे अवकाश लेवें तो यह सुनिश्चित कर लें कि एक सिविल न्यायाधीश मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)